कार्यालय जिला पंचायत, बागपत।

पत्रांकः– 1166 / जि0पं0बागपत / 2017–18 दिनांकः– 02/04/2018

–: बीड सूचना :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बागपत के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत खोई भूसा, भूसी, मैली, बेकगास, कबाड, गत्ता, लोहा व सरिया आदि का व्यापारिक दृष्टि से अभिवहन करने तथा जनपद के बाहर ले जाने या सग्रह करने वाले वाहनो एंव पशु गाडियों पर शुल्क आरोपित हेतु शुल्क वसूली के ठेका वर्ष– 2018–19 (अवधि 31 मार्च, 2019 तक) का नीलामी इटेड्रिंग के माध्यम से दिनांक– 17.04.2018 समय 5:00 बजे तक http//etender.up.nic.in पर आमंत्रित की जाती है। इटेड्रिंग के माध्यम से ठेके कि नीलामी की बिडशीट दिनांक– 18.04.2018 को समय–11:00 बजे सक्षम अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। उक्त ठेके की नीलामी के सम्बन्ध में शरायत नीलाम व अन्य जानकारी जनपद की वेबसाइट http//baghpat.nic.in एंव http//etender.up.nic.in पर देखी जा सकता है। ठेके से सम्बन्धित शर्ते इस प्रकार होंगी।

1–: ठेके की अवधि अनुबन्ध दिनांक से 31 मार्च, 2019 तक होगी।

2–: नीलाम सक्षम अधिकारी / मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, बागपत की स्वीकृति की प्रत्याशा में किया जायेगा ।

3–: प्रत्येक बीडदाता को बीड से पूर्व नीलाम समिति द्वारा निर्धारित की गयी जमानत धनराशि के रूप में अंकन–2,00,000 / –रू0 का डी0डी0 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बागपत के नाम बनवाकर संलग्न करना होगा। जो बीड समाप्त होने के बाद असफल बोलीदाताओं को वापिस कर दी जायेगी तथा जिस व्यक्ति के नाम बीड स्वीकृति की प्रत्याशा में छोडी जायेगी उसकी जमानत धनराशि ठेके की धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी।

4–: उच्चतम बोलीदाता को अपनी बीड की सम्पूर्ण धनराशि बीड के तुरन्त बाद कार्यालय में जमा करानी होगी। बीड की धनराशि जमा न होने की दशा में प्रथम बीडदाता की जमानत जब्त करते हुए यदि नीलाम समिति उचित विचारे ओर उच्चतम बोली का अन्तर जमानत धनराशि से अधिक न हो तो द्वितीय बोलीदाता को धन जमा करने का अवसर प्रदान कर सकती है। परन्तु अंतिम निर्णय नीलाम समिति का होगा। बकायेदार को बोली बोलने का अधिकार नही होगा।

5–: नीलाम समिति को अधिकार रहेगा कि किसी भी बीड को बिना किसी कारण बताये बीड निरस्त कर सकती है।

6–: ठेकेदार को ठेके की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होते ही एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित कराना होगा। अनुबन्ध जारी शासनादेशो में उल्लेखित निर्देशों के आधार पर ही किया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा। यदि स्टाम्प की जॉच के समय स्टाम्प की कमी पायी जाती है तो उस पर लगने वाली पैनल्टी आदि की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

7–: ठेकेदार को जिला पंचायत, बागपत की उपविधियों के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार ही शुल्क वसूल करने का अधिकार होगा तथा निरीक्षण पंजिका रखने का दायित्व भी ठेकेदार का ही होगा।

8—: ठेकेदार को ठेका किसी को किराये पर उठाने का अधिकार नही होगा। ऐसा किये जाने पर और जॉच में सही पाये जाने पर जिला पंचायत को अधिकार होगा कि ठेका निरस्त कर पुनः नीलाम करा दे या ठेकेदार स्वयं ठेका छोडकर चला जाये तो पुनः नीलामी की जायेगी ओर यदि कोई वित्तीय हानि होती है तो उसकी वसूली ठेकेदार से ही की जायेगी।

9—: यदि ठेके को किसी भी शर्त के उल्लघंन के कारण रद्ध करना पडे या ठेकेदार किसी कारण ठेका छोडकर चला जाये तो उसे जिला पंचायत, बागपत से किसी भी प्रकार की हानि के लिये धन प्राप्त करने का अधिकार नही होगा।

10—: ठेकेदार को समय–समय पर जिला पंचायत, बागपत की उपविधियों एवं नियमों के तारतम्य में अधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

11—: यदि किसी कारण वश निर्धारित समय तक आगामी ठेका स्वीकृत होने में विलम्ब होता है तो पूर्व ठेकेदार गत वर्ष के ठेके की धनराशि में 25 प्रतिशत वृद्वि कर धन जमा करना होगा।

12—: बीड प्राप्त होने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति इस ठेके को लेना चाहता है तो वह दो दिन के अन्दर 25 प्रतिशत धनराशि बढाकर पूर्ण धनराशि कार्यालय में जमा करेगा। उसके उपरान्त वह व्यक्ति जिसने 25 प्रतिशत अधिक धनराशि जमा की है उक्त दोनो के मध्य नीलाम किया जायेगा। यह कार्यवाही एक ही बार अनुमान्य होगी।

13—: बीड स्वीकार होने पर ठेकेदार को बीड की धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में राष्ट्रीकृत बैक/पोस्ट आफिस की एफ0डी0आर0, सी0डी0आर0 के रूप में एंव अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बागपत के पद नाम पर बन्धक कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी तथा शासन द्वारा नियत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र निस्पादित कराना होगा। जिसका समस्त व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा। शुल्क की वसूली शासकीय गजट में प्रकाशित दरो के अनुसार ही की जायेगी।

14—: ठेकेदार जिन व्यक्तियों को शुल्क वसूली कार्य में नियुक्त करेगा उनकी सूची उनके दो–दो पासपोर्ट साईज के फोटो सहित कार्यालय में अनुबन्ध पत्र के समय जमा करानी होगी। जिला पंचायत द्वारा जारी परिचय पत्र के उपरान्त ही शुल्क वसूली का कार्य किया जायेगा। शुल्क वसूली का कार्य करने वाले व्यक्तियों का पहचान पत्र भी ठेकेदार द्वारा कार्यालय में जमा करना होगा।

15—: बीडदाता को चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र जो सक्षम स्तर से निर्गत किया गया हो को बीड के साथ अपलोड करेगा तथा मूल अभिलेख बीड खोले जाने की तिथि से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16—: महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश शिविर, लखनऊ के पत्रांक–501/शि0क0/ल0ख0/03 दिनांक–27.02.2003 में निहित निर्देशानुसार साझीदारी की व्यक्तिगत सम्पत्ति फर्म के नाम स्थानान्तरित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त फर्म/सोसायटी कम्पनी के प्रत्येक साझीदार का अपना अलग–अलग चरित्र प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, हस्ताक्षर का सत्यापित नमूना इत्यादि समस्त मूल प्रमाण–पत्र नियामनुसार सक्षम स्तर से निर्गत ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इन समस्त प्रमाण–पत्रो के लिए सक्षम स्तर वही है जो सामान्यतः किसी व्यक्ति विशेष को बीड बोलने के लिए अधिकृत करने हेतु प्रस्तुत करने होगें।

17—: शुल्क वसूली के लिए ठेकेदार को रसीद कार्यालय द्वारा निर्गत की जायेगी तथा ठेकेदार को शूल्क वसूली की रसीद की निर्धारित धनराशि कार्यालय में जमा करनी होगा एंव उक्त रसीद

को जिला पंचायत से नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर के उपरान्त ही प्रयोग में लाई जायेगी।

18—: बीड खोले जाने की तिथि पर बीडदाता या उसका प्रतिनिधि कार्यालय में उपस्थित रहेगा।

19—: उपरोक्त शर्त का यदि किसी भी दशा में उल्लघंन पाया जाता है तो उक्त ठेका निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत, बागपत में निहीत होगा एवं अध्यक्ष, जिला पंचायत, बागपत का निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा। इस प्रकार पुनः नीलामी में यदि पंचायत को कोई हानि होगी तो ठेकेदार की जमा धनराशि से समायोजित की जायेगी।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बागपत।

प्रतिलिपिः—1— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागपत को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को इन्टरनेट पर प्रकाशित करा दें।

2— उप जिलाधिकारी, बागपत से अनुरोध है कि जिलाधिकारी महोदय कार्यालय के पत्र संख्या—156/एस0टी0कैम्प—20 दिनांक—20 अप्रैल, 2017 के कम में आपकी उपस्थिति प्राथनीय है।

3— प्रशासनिक अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत बागपत को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक में नीलामी के समय कार्यालय में उपस्थित रहकर बीड की कार्यवाही में अपना सहयोग प्रदान करेगें।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत बागपत।